श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)
बी-4,कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110 016

दिनांक 13.08.2018
24

क्रमांक.ला.ब.शा./राज भाषा/2018-19/458

कार्यालयीय -आदेश

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चत्तर शिक्षा विभाग) शास्त्री भवन नई दिल्ली द्वारा विद्यापीठ की जनवरी से मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की मंत्रालय द्वारा समीक्षा करने पर पाया गया कि :-

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का उल्लंघन है नियमानुसार ऐसे सभी दस्तावेजों शत-प्रतिशत द्विभाषी रूप में जारी किए जाने चाहिए। कार्यालय में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा 3 के प्रावधानों के अनुसार इस उपधारा के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात जैसे सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, तथा अन्य रिपोर्ट नियम ,करार, संविदा, टेंडर, नोटिस, संसद प्रश्न तथा संसद को प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री आदि को अनिवार्यतः हिंदी तथा अंग्रेजी अर्थात द्विभाषी रूप में जारी किया जाए।
2. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में नहीं दिए जा रहे । जबकि इन पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने चाहिए।
3. मूल पत्राचार में हिंदी का प्रयोग निर्धारित लक्ष्यों के काफी कम है। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित 100 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किए जाएं।
4. विद्यापीठ द्वारा तिमाही के दौरान हिंदी कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया है। समय-समय पर हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाएं ।
5. कार्यालय में हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए आशुलिपिक को हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिलवाने की व्यवस्था की जाए।
6. कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कंम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिलवाने की व्यवस्था की जाए ।
7. सभी कोड, मैनुअल, मानकी कृत प्रपत्र द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाया जाए।
8. कार्यालय में प्रशिक्षण सामग्री की द्विभाषी उपलब्धता का निर्धारित लक्ष्य 100 प्रतिशत है। लक्ष्य के अनुसार शीघ्र प्रगति की जाए।
9. पुस्तकों पर किए जाने वाले कुल व्यय में से हिंदी पुस्तकों की खरीद (सीडी,डीवीडी डाक्यूमेंट्री व ई-बुक सहित)का लक्ष्य कुल अनुदान का 50% निर्धारित है। जब भी कार्यालय द्वारा पुस्तकें खरीदी जाएं इसे ध्यान में रखा जाए।
10. कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या के अनुसार नियमानुसार अपेक्षित हिंदी के पदों का तत्काल सृजन किया जाए।

संसदीय समिति द्वारा समय-समय पर कार्यालय का राजभाषाई निरीक्षण किया जाता है। इस प्रकार नियमों की पूर्णतः अवहेलना को समिति द्वारा अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है ।

कृपया उपर्युक्त दर्शाई गई कमियों को दूर करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने के साथ इसकी सूचना मंत्रालय को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अतः विद्यापीठ के समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि पत्र पर दर्शाए गए बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। दर्शाए गए बिन्दुओं पर अनुपालन का दायित्व अनुभाग के समस्त अधिकारियों का होगा।

मनजीत सिंह
सहायक कुलसचिव (प्रशा0)

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. समस्त संकाय प्रमुख, एवं विभागाध्यक्ष
2. समस्त उपकुलसचिव/ सहायक कुलसचिव /अनुभाग अधिकारी
3. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को विद्यापीठ की वेबसाइट पर करें।
4. कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियता/महिला अध्ययन केन्द्र
5. पुस्तकालयाध्यक्ष/प्रकाशन विभाग
6. कुलपति/कुलसचिव/वित्ताधिकारी के निजी सचिव

मनजीत सिंह
सहायक कुलसचिव (प्रशा0)

For Na Ph.
Sh. Gyan
29/8/18

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)
बी–4,कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110 016

दिनांक 13.08.2018
24

क्रमांक.ला.ब.शा./राज भाषा/2018–19/456

कार्यालयीय –आदेश

दिनांक 16 मार्च 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा विद्यापीठ का राजभाषाई निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के उपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं की गई कार्यवाही से मंत्रालय को अवगत करवाने के सम्बन्ध में लिखा गया है। अतः समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का उल्लंघन है नियमानुसार ऐसे सभी दस्तावेजो शत–प्रतिशत द्विभाषी रूप में जारी किए जाने चाहिए। कार्यालय में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा 3 के प्रावधानों के अनुसार इस उपधारा के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात जैसे सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, तथा अन्य रिपोर्ट नियम ,करार, संविदा, टेंडर, नोटिस, संसद प्रश्न तथा संसद को प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री आदि को अनिवार्यतः हिंदी तथा अंग्रेजी अर्थात द्विभाषी रूप में जारी किया जाए।
2. आपके कार्यालय में हिंदी पत्राचार की स्थिति लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। आपका कार्यालय ''क'' क्षेत्र में स्थित है और इस संबध में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्यालय से किया जाने वाला शत–प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया जाना है। कृपया लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कार्यवाही की जाए।
3. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन हर तिमाही में किया जाए।
4. सरकारी प्रयोजनों के लिए रखे गए सभी रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिंदी में की जानी चाहिए।
5. कार्याजय में नियमानुसार सभी मानक मसौदे द्विभाषी किए जाएं।
6. सेवा पंजियों की संख्या देवनागरी में दर्शाई गई है देवनागरी अंक मान्य नहीं है।
7. राजभाषा हिंदी से संबंधित रिक्त पड़े पद को भरने के लिए नियमानुसार कार्यवाई शीघ्र पूरी की जाए और मंत्रालय को भी अवगत कराया जाए।

अतः विद्यापीठ के समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि पत्र पर दर्शाए गए बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। दर्शाए गए बिन्दुओं पर अनुपालन का दायित्व अनुभाग के समस्त अधिकारियों का होगा।

मनजीत सिंह
सहायक कुलसचिव (प्रशा0)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–
1. समस्त संकाय प्रमुख, एवं विभागाध्यक्ष
2. उपकुलसचिव/ सहायक कुलसचिव
3. समस्त अनुभाग अधिकारी
4. संगणक विभाग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को विद्यापीठ की वेबसाइट पर करें।
5. कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियता
6. महिला अध्ययन केन्द्र
7. पुस्तकालयाध्यक्ष/प्रकाशन विभाग
8. कुलपति/कुलसचिव/वित्ताधिकारी के निजी सचिव

मनजीत सिंह
सहायक कुलसचिव (प्रशा0)

For Nu pls
29/8/18

Sh. Gyan